SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

चम्पारण किसान आंदोलन में लोमराज सिंह की भूमिका

शिप्रा, Ph. D.
उत्क्रमित मध्य विद्यालय, इब्राहिमपुर, मसौढ़ी, पटना, बिहार, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Author
शिप्रा, Ph. D.
E-mail : shiprasingh70017@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 20/09/2024
Revised on : 22/11/2024
Accepted on : 02/12/2024
Overall Similarity : 00% on 23/11/2024

शोध सार

हिमालय की तराई में बसा बिहार का पश्चिमोत्तर जिला चम्पारण कृषि प्रधान क्षेत्र था और उसकी परिस्थिति कृषि के अनुकूल थी। भारत में कम्पनी राज कायम होने के बाद इस क्षेत्र में परम्परागत कृषि–व्यवस्था पर आधारित आर्थिक स्वरूप पूर्णतः बदल गया। इसका असर सामाजिक–राजनीतिक पर भी कमोवेश पड़ा। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम (1775–83) के बाद यूरोपीय बाजारों में नील की बढ़ती मांग ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी का ध्यान नील के उत्पादन की ओर आकृष्ट किया। उस समय नील का व्यापार सर्वाधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय था। नील की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए बंगाल तथा बिहार में नील की कई कोठियों स्थापित की गई। 1782 से 1785 ई. के बीच तिरहुत के कलेक्टर प्रेकोस ग्रेड के प्रयास से बिहार में नील उद्योग काफी विकसित हुआ। उन्होंने यूरोपीय तरीके से नील के उत्पादन का प्रारंभ कराया। चम्पारण में कोठी का नील का प्रथम कारखाना 1801 ई. में राजपुर में, दूसरा इसी वर्ष सिरहों में, तीसरा 1804 ई० में बाराचकिया में, कालान्तर में पीपरा, तुरकौलिया और मोतिहारी आदि अनेक स्थानों पर कोठियों के साथ कारखाने स्थापित किए गए। उत्तर बिहार में यूरोपीय निलहों के द्वारा नील की खेती दो प्रकार से कराई जानी थी–जीरात तथा आसामीवार। अंग्रेज निलहे (कोठी वाले) अपने लाभ के लिए चम्पारण के किसानों एवं मजदूरों का काफी शोषण और दोहन करते थे। इस शोषण के खिलाफ जहाँ कहीं भी किसानों एवं मजदूरों के द्वारा प्रतिकार किया गया, वहीं विभिन्न मुकदमों में फंसाकर तंग–तबाह करते हुए उनका दमन किया गया। इसी के विरोध करने के कारण लोमराज सिंह चम्पारण के किसान आन्दोलन के अग्रणी नेता बन गए।

मुख्य शब्द

चम्पारण, निलहे, किसान आंदोलन, बिहार हार्सपावर, टिनेंसी एक्ट, राष्ट्रीय नेतृत्व.

भूमिका

लोमराज सिंह (आत्मज सुब्बा सिंह) का जन्म 1835 ई. के मार्च मास में हुआ था। यह व्यक्ति 1832 ई. से लेकर अक्टूबर 1928 ई. तक चम्पारण के आन्दोलन के इतिहास का प्रणेता रहा। इनके पिता की एक ही जमाबन्दी बत्तीस बीघे की थी और इसके अतिरिक्त भी गांव में उनकी जमीन थी। वैसे तो निलहे कोठी ने दोहन, शोषण एवं जनमानस पर नियंत्रण करने के लिए ही लोमराज सिंह को जगीरहाँ कोठी एवं भीखू सिंह को पीपरा कोठी के मोलाजिम के रूप में नियुक्त किया था। वे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और लाभकारी कारोबार को छोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने लगे।[2]

1857 ई. में हिन्दुस्तान की जनता स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम की लड़ाई लड़ रही थी और भारत के नौजवान आजादी के लिए कफन बांधकर अंग्रेजों को भगाने में जुट गए थे। उसी समय लोमराज सिंह भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और अपने इलाके के किसान–मजदूरों को, अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ जगाने लगे। चम्पारण के निलहे कोठी वाले भी इस आन्दोलन से प्रभावित हुए। आक्रोशित जनता को नियंत्रित एवं संतुलित करने के लिए वे दबंग व्यक्तियों की तलाश करने लगे जिसके माध्यम से लोमराज सिंह के द्वारा अंग्रेज निलहे कोठी वालों के शोषण–दोहन के खिलाफ प्रारंभ हानेवाले आन्दोलनों में कुछ लाभ मिल सके लेकिन वे इसमें सफल नहीं हुए।

1857 ई. के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भले ही भारतीय आन्दोलनकारी पराजित हुए. लेकिन इस आन्दोलन का असर अंग्रेजी कोठी बालों पर भी पड़ा। पूरे भारत में अंग्रेजी फोठी के विरुद्ध आन्दोलन होने लगे। चम्पारण में भी लोगों ने अंग्रेजों के विरूद्ध स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन में भाग लिया। सन् 1860 ई. में बंगाल में निलहे कोठी के विरूद्ध संगठित आंदोलन हुआ। यह देखकर बिहारी अंग्रेजों ने अपनी कोठी सुरक्षा के लिए–''बिहार हॉर्सपावर'' नाम से सैनिक संगठन बनाया जिसका मुख्यालय बेतिया था। इसके अलावा अंग्रेज प्रतिवर्ष इस 'बिहार अश्व शक्ति' का सम्मेलन सोनपुर के मेला में करते थे। अंग्रेजों के सैनिक कार्य को देखते हुए चम्पारण के किसान नेता लोमराज सिंह भी दूरदर्शिता के साथ किसानों और मजदूरों में अपना प्रभाव बढ़ाकर अंग्रेजों से लोहा लेने की तैयारी करने लगे।[3]

परिस्थतियों के कारण 1860 ई. के बाद बंगाल से निलहे भागने लगे। कुछ निलहें तो इंगलैंड चले गए किन्तु कुद निलहों ने बिहार के चम्पारण में जाकर कोठियां कायम की। यहाँ पर भी कोठी वाले किसानों का शोषण करने के साथ–साथ उनपर दमनात्म्क कार्रवाई करने लगे। लोमराज सिंह एवं चम्पारण के अन्य नेताओं द्वारा इसका मुखर विरोध किया गया। चम्पारण में कोठी वाले के निर्देश पर किसानों को सर्वप्रथम पंचकठिया (प्रति बीघा में पाँच कट्ठा नील की खेती) खेती अपने खर्च पर करनी पड़ती थी, जिसका लाभ अंग्रेजों को मिलता था। प्रायः काफी संघर्ष के बाद एक समझौते से 1872 ई. के आसपास पंचकठिया से तीन कठिया प्रथा का आरम्भ हुआ। भले ही नाम तीन कठिया पड़ाय लेकिन कार्य छः कठिया हुआ, क्योंकि तीन कट्ठे में नील की फसल लगी रहती थी, और तीन कट्ठे जमीन अगली फसल के लिए परती चौमास छोड़नी पड़ती थी। इस प्रथा का प्रखर विरोध में लोमराज सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।[4]

चम्पारण की जनता ने 1896 से 1906 ई. तक अनेक बार बाढ़ और सुखा के प्रकोप का सामना किया जिसके कारण निलहे कोठीवालों की आमदनी घट गई। आमदनी बढ़ाने के लिए त्रिवेणी कैनाल, ढाका कैनाल आदि के निर्माण के लिए सरकार से कोठी वालों ने 1904 ई० में प्रस्ताव किया और परिणामस्वरूप नहरों का निर्माण हुआ। विकास की इस योजना का बखान करते हुए चम्पारण में निलहे कोठीवालों ने मालगुजारी में काफी वृद्धि कर दी। इस टैक्स बढ़ोत्तरी का भी विरोध किसान नेता लोमराज सिंह ने किया। विदित है कि पीपरा कोठी के द्वारा 60 प्रतिशत, तुरकौलिया कोठी के द्वारा 50 प्रतिशत, राजपुर कोठी के द्वारा 65 प्रतिशत टैक्स बढ़ोत्तरी की गई जिसे शहरवेशी कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी 46 प्रकार के टैक्सों को भुगतान की लम्बी सूची चम्पारण के किसानों के लिए अनिवार्य थी।[5]

किसानों के ऊपर करों की राशि बढ़ा दिए जाने के कारण लोमराह सिंह का टैक्स विरोध शुरू हुआ। ये टैक्स निम्नलिखित थेः

1. सरकार सिंचाई कर पृथक लेती थी और कोठी वाले अलग से लेते थे।
2. निलहों के द्वारा मालगुजारी में की गई वृद्धि बंगाल टिनेंसी ऐक्ट के विपरीत थी। बंगाल टिनेंसी ऐक्ट में प्रावधान था कि अगर किसान को फसल से अप्रत्याशित लाभ होता है, तो उसे रूपये में मात्र दो आना अर्थात् 1/8 अतिरिक्त कर के रूप में जमींदार को देय होगा।
3. किसान नेता लोमराज सिंह का नियमानुकूल तर्क था कि बढ़ोत्तरी का लाभ जमींदार को देय होगा न कि मोकर्ररी पट्टेदार को। कोठी में मोकर्ररी पट्टेदार है, जमींदार नहीं।
4. मजदूर को प्रतिदिन की मजदूरी सिद्धांत में चार पैसे थे, लेकिन व्यवहार में मजदूरी तीन पैसा ही दिए जाते थे, एक पैसा अमानवीय ढंग से मुलाजिम रख लेता था।

उपर्युक्त अमानवीय कार्य के विरोध के अलावा किसान के हर केस की पैरवी पर बड़ी नजर किसान नेता लोमराज सिंह रखते थे, जिस केस को किसान थककर छोड़कर चले जाते थे, उस केस में भी पैरवी करके केस कायम रखते थे। इन सव कार्यों में अत्यधिक खर्च होने के कारण उनको मोतिहारी का अपना घर बेच देना पड़ा। इससे स्पष्ट होता है कि वह एक मिशन के तहत इन कार्यों में लगे हुए थे।[6]

धीरे–धीरे अंगेजों के द्वारा आतंक, दमन और अमानवीय शोषण को अनवरत बढ़ाते जाने के खिलाफ किसान नेता लोमराज सिंह ने आन्दोलन को तीव्र कर दिया। फलस्वरूप एक ओर अंग्रेजों ने उन्हें हर तरह से कमजोर करने के लिए उनके यहाँ नाई, धोबी तथा पनघट आदि बंद कर दिया था तो दूसरी ओर किसानों के प्रिय नेता लोमराज सिंह के विरोध में पुलिस अपना प्रतिवेदन तिरहुत कमीश्नर के यहाँ सदैव भेजा करती थी। इतना ही नहीं उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया लेकिन हर बाद साक्ष्य के अभाव में केस से उन्हें मुक्त कर दिया जाता था। अंग्रेज निलहें ने पिपरा कोठी के मैनेजर भीखू सिंह को प्रेरित किया कि लोमराज सिंह के विरुद्ध गवाही दें, किन्तु उन्होंने अपने ही चचेरे भाई के विरुद्ध गवाही कभी नहीं दी। परिणामतः उन्हें भी कोठी के मोलाजिम पद से हटा दिया गया। तत्पश्चात् परिस्थिति बदल गई, भीखू सिंह का भी पूर्ण सहयोग लोमराज सिंह के आन्दोलन में प्राप्त होने लगा। लोमराज सिंह के फरमान पर जगीरहाँ गोठी के मैनेजर को पीटा एवं अपमानित किया गया। इस केस में 8 व्यक्तियों की सजा हो गई और बक्सर जेल भेज दिया गया।

किसान नेता कोठी के विरूद्ध प्रायः सिविल मुकदमा लड़ते थे, लेकिन कोठी वाले हमेशा फौजदारी मुकदमा में उन्हें फँसाना चाहते थे, क्योंकि मजिस्ट्रेट के अंग्रेज होने के कारण कोठी वालों को पैरवी सुन ली जाती थी और झूठे मुकदमे में भी मुदालह को सजा मिलती थी। सिविल मुदकमे में कोठी वालों की प्रायः घर ही होती थी, लेकिन फौजदारी में किसान लोग हारते रहे।[7]

शहरवासियों के विरुद्ध 12 दिसम्बर 1914 ई. को किसान नेता लोमराज सिंह ने निलहे कोठीवाले के विरोध में 700 रैयतों का संयुक्त हस्ताक्षर कराकर तिरहुत के कमीश्नर के पास आवेदन दिया और उनसे स्वयं जाँच के लिए अनुरोध किया। कमीश्नर को दिए गए आवेदन में वर्णित सटीक तथ्यों के आधार पर ही जाँच होने वाली थी तथा निलहों ने लोमराज सिंह के विरुद्ध मोतिहारी कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। इस झूठे मुकदमों में न केवल लोमराज सिंह बल्कि उनके परिवार के 14 मुदालह थे। मजिस्ट्रेट ने सभी मुदालहों को छः माह तक की सजा दी और (चौबीस सौ रूपये) का सामूहिक जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। इसके विरूद्ध जिलाधीश मि. के. स्क्रूप के यहाँ अपील की गई जिसमें उन्होंने 1 सितम्बर 1915 ई. को मजिस्ट्रेट के निर्णय को रद्द कर दिया और अभियुक्तों को छोड़ने का आदेश दिया।

आक्रोशित अंग्रेज नीलवरों ने चम्पारण की अश्वशक्ति एवं बिहार अश्व शक्ति पुलिस की संयुक्त टोली से लोमराज सिंह पर आक्रमण करवा कर दमनात्मक कार्रवाई की। घर में ही लोमराज सिंह को नजरबंद कर दिया गया। घर से किसी पारिवारिक सदस्य को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था और बाहर से खाने–पीने की कोई भी सामग्री घर में नहीं जाने दी जाती थी। जब पानी के लिए भी घर में हाहाकार होता था तो अश्वशक्ति पुलिस

खुशी का अनुभव करती थी। दरवाजे पर रखा धान लुटवा दिया जाता था। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। धीरे–धीरे पूरा गाँव इस दमन का शिकार हो गया। इस संकटपूर्ण परिस्थिति से मुक्ति पाने के लिए किसान नेता लोनराज सिंह ने श्री ब्रजकिशोर बाबू से सलाह ली। श्री ब्रजकिशोर बाबू ने इस आन्दालन को जन–आन्दोलन बनाने का परामर्श दिया और इसके लिए महात्मा गाँधी से नेतृत्व कराने की भी अपनी इच्छा व्यक्त की। किसानों के नेता लोमराज सिंह ने इस सभी बिंदुओं पर गोरखबाबू वकील की राय ली और यह तय हो गया कि ब्रजकिशोर बाबू और राजकुमार शुक्ल को महात्मा गाँधी के पास जाना चाहिए, जिससे उनका नेतृत्व किसान आन्दोलन को मिल सके।[8]

राष्ट्रीय नेतत्व की तलाश

1916 ई. के लखनऊ कांफ्रेंस में ब्रजकिशोर बाबू और राजकुमार शुक्ल की गाँधीजी से भेंट हुई और वहीं चम्पारण अत्याचार पर चर्चा की गयी। इस घटना को सुनकर गाँधीजी ने कहा कि बिना देखे इस विषय पर में कोई राय नहीं दूंगा। इसी पर शुक्लजी एवं ब्रजकिशोर बाबू ने गाँधीजी से चम्पारण आकर देखने का आग्रह किया। गाँधीजी ने आगामी अप्रैल में कांफ्रेंस के बाद वहां से चम्पारण जाने का वादा किया। पुनः राजकुमार शुक्लजी ने गाँधीजी से कलकत्ता में भेंट की और वहीं से वे 7 अप्रैल 1917 को पटना पहुँचकर राजेन्द्र बाबू के यहाँ ठहरने के लिए गए। उनके नौकर ने बाहरी व्यक्ति समझकर गाँधीजी के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया। इस घटना से उन्हें लगा कि बिहार में जातिवाद बहुत है तब गाँधीजी एवं शुक्ल जी मजहरूल हक के यहाँ चले गए। यहीं पर किसान नेता लोमराज सिंह से गाँधीजी का परिचय हुआ और उन्होंने गाँधीजी से अपनी व्यथा–कथा कह सुनाई। इसके साथ ही उनसे चम्पारण चलने का आग्रह भी किया, तब गाँधीजी ने उन दोनों से एक प्रश्न पूछा कि–चम्पारण में सरकार यदि मुझे कैद कर लेती है तो आपलोग क्या करेंगे?'' इस प्रश्न पर शुक्लजी शान्त रह गये, किन्तु किसान नेता लोमराज सिंह ने तत्क्षण से कहा कि हम लोगों को संगठित कर देंगे, जिससे सरकार को कैद करना मुश्किल हो जायेगा। गाँधीजी लोमराज सिंह की बात से प्रभावित हुए और चम्पारण यात्रा के लिए वे तैयार हो गए। राजेन्द्र बाबू के घर पर जातीय कट्टरता को देखकर उन्हें आन्दोलन की एकता मे संदेह का आभास हुआ था. किन्तु उसे दूर कर दिया। लोमराज सिंह ने कहा था–''मैं आत्महत्या कर लूँगा लेकिन निलहे अफसरों के सामने झुक नहीं सकता।''[9]

निष्कर्ष

लोमराज सिंह की इस बुलन्दी और त्याग से प्रभावित गाँधी जी ने भी चम्पारण संघर्ष की शुभारंभ जसौली से करने का निर्णय लिया। गाँधीजी ने प्रसन्न होकर लोमराज सिंह को चम्पारण के कुशल किसान नेता की उपाधि से विभूषित किया और अपनी आत्मकथा में इसका उल्लेख किया। किसान लोमराज सिंह ने जसौली घटना की जाँच कमिटी के सदस्यों और ब्रजकिशोर प्रसाद एवं रामनवमी बाबू का ध्यान आकृष्ट किया और उनकी जॉच रिपोर्ट से महात्मा गाँधी जी अत्यंत सतुष्ट हुए। इस प्रकार स्पष्ट है कि चम्पारण किसान आंदोलन में लोमराज की अहम भूमिका थी। इन्होंने अपने कार्यशैलियों से गाँधी जी को चम्पारण बुलाकर किसान आंदोलन को मजबूती मिली।[10]

संदर्भ सूची

1. कुमार, अजीत (2001) *''बिहार में अंग्रेजी राज और स्वतंत्रता आन्दोलन''*, उषा प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 97–98।
2. चौधरी, हरिश्चन्द्र (2016) *''चम्पारण का किसान आन्दोलन और गाँधी''*, प्रकाशन संस्थान, नयी दिल्ली, पृ. 155।
3 पूर्वोक्त, पृ. 156।
4. पाण्डेय, ओम प्रकाश (2012) *''महात्मा गाँधी का चम्पारण सत्याग्रह''* भारती प्रकाशन, वाराणसी, पृ. 155।
5. चौधरी, वी.सी. राय (1960) *''बिहार डिस्ट्रीक्ट गजेटियर चम्पारण''* सेक्रेटारिएट प्रेस, बिहार (पटना), पृ. 157।
6. प्रसाद, राजेन्द्र (1949) *''महात्मा गाँधी एण्ड बिहार''* ब्रिटिश इंडिया प्रेस, बॉम्बे, पृ. 14।
7. प्रसाद, राजेन्द्र (1928) *''सत्याग्रह इन चम्पारण''* एस. गणेशन पब्लिशर्स, मद्रास, पृ. 121।
8. चौधरी, हरिश्चन्द्र (2016) *''चम्पारण का किसान आन्दोलन और गाँधी''* प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, पृ. 156
9. पूर्वोक्त, पृ. 160–161।
10. पूर्वोक्त, पृ. 163।

****